

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 207]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 28 अप्रैल 2026 — वैशाख 8, शक 1948

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 28 अप्रैल 2026

सूचना

क्रमांक F RULE/6/2025-TRANSPORT-Part(2).— छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में और संशोधन का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे राज्य सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 65 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए बनाना प्रस्तावित करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर, इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस के अवसान पर विचार किया जायेगा।

कोई आपत्ति या सुझाव, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, ई-मेल: ps-transport@cg.gov.in, परिवहन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर, के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विचार किया जायेगा।

संशोधन प्रारूप

उक्त नियमों में,—

1. नियम 55—ग के पश्चात्, निम्नलिखित नियम जोड़ा जाये, अर्थात्:—

“55—घ. पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण.—(1) किसी मोटरयान का पंजीकृत स्वामी, अपने पुराने वाहन के पंजीयन चिन्ह (साधारण/फैसी/चॉइस नंबर) का प्रतिधारण या पुनः उपयोग, क्रय किये गये नवीन वाहन अथवा अन्य राज्य से पते में परिवर्तन कर पंजीयन हेतु लाये गये वाहनों पर कर सकेगा।

(2) वाहन स्वामी को, प्रत्येक मोटरयान के पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण या पुनः उपयोग की अनुमति केवल एक बार ही होगी।

(3) पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण करने के लिए फैसी/चॉइस नंबर हेतु निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा:

परंतु ऐसे पंजीयन चिन्ह, जिनके फैसी/चॉइस नंबर के प्रतिधारण हेतु शुल्क का निर्धारण नहीं किया गया है, के उपयोग के लिए शुल्क ₹ 5000/— का भुगतान करना होगा।

स्पष्टीकरण – फैंसी/चॉइस नंबर के अंतर्गत नीलामी की प्रारंभिक बोली राशि को यथा निर्धारित शुल्क समझा जायेगा।

- (4) पंजीकरण चिन्ह के प्रतिधारण या पुनः उपयोग हेतु आवेदन, प्रारूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 34-क में नियम 62 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज एवं आवेदन शुल्क के साथ पंजीयन प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- (5) जहाँ वाहन स्वामी द्वारा मोटरयान को विधिवत् स्कैप कर दिया गया है अथवा अन्य विधिपूर्ण साधनों के माध्यम से पंजीयन का निरस्तीकरण प्राप्त का लिया गया है, पंजीयन चिन्ह का पुनः उपयोग करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीयन निरस्तीकरण प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा:

परन्तु, जहाँ वाहन को किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित करने के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एनओसी) जारी किया गया है, तो पंजीयन चिन्ह के पुनः उपयोग के लिए संबंधित पंजीयन प्राधिकारी से जारी नवीन पंजीयन प्रमाणपत्र (आर.सी.कार्ड) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

- (6) पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण की सुविधा, निम्नलिखित वाहनों पर लागू नहीं होगी:
 - (क) राज्य में पूर्व से पंजीकृत वाहनों के लिए; या
 - (ख) ऐसे वाहन, जिनके संबंध में अन्य राज्य से अंतर्राज्यीय अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त होने के आधार पर पता परिवर्तन दर्ज किया गया है, परन्तु पंजीयन चिन्ह किसी अन्य राज्य से संबंधित है; एवं
 - (ग) ऐसे वाहन, जिनका पंजीयन निरस्त हो गया है अथवा अन्य राज्य हेतु जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र की अवधि एक वर्ष से अधिक हो चुकी हो।
 - (7) ऐसी दशा में, जहाँ अनापत्ति प्रमाणपत्र के आधार पर राज्य में पते के परिवर्तन को दर्ज किया गया है, तो पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण, अंतिम पंजीयन प्राधिकारी की अधिकारिता में होगा।
 - (8) पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण या पुनः उपयोग की सुविधा, शासकीय वाहनों पर भी लागू होगी; तथापि ऐसे वाहनों को विनिर्दिष्ट शुल्क के भुगतान से छूट प्राप्त होगी।
2. नियम 62 के अंतर्गत सारणी में सरल क्रमांक 1 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

स.क्र.	प्रयोजन	रकम (₹)
1-क	पंजीयन चिन्ह का प्रतिधारण	200.00

3. प्रथम अनुसूची के प्रारूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 34 (बी.टी.आई.) के पश्चात्, निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात्:-

“प्रारूप सी.जी.एम.व्ही.आर. 34 (क)
(नियम 55-घ देखिये)

पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण के लिए आवेदन पत्र

प्रति,
पंजीयन प्राधिकारी

.....छ.ग.

छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के नियम 55-घ के प्रावधानों के अनुसार, मैं वाहन पंजीयन क्रमांक
..... के पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण हेतु आवेदन प्रस्तुत करता/करती हूँ:-

भाग-एक

1. पूरा नाम/कम्पनी का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. पूरा पता

4. मोबाईल/दूरभाष क्र.
5. ईमेल आई.डी (यदि कोई हो)
6. चेसिस नं. एवं ईंजिन नं.
7. वाहन का प्रकार
8. चालान संख्या तारीख

भाग—दो

9. वाहन के पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण का कारण (वाहन का पंजीयन निरस्तीकरण अथवा अन्य राज्य हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र का जारी किया जाना)
10. पंजीयन चिन्ह जारी किये जाने वाले वाहन की श्रेणी (नवीन वाहन/अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाणपत्र के साथ पते के परिवर्तन हेतु).....
11. नवीन वाहन अथवा अन्य राज्य से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त वाहन पर, पंजीयन चिन्ह अनुदेशन की जानकारी:
 - (क) निर्माता और मॉडल
 - (ख) चेसिस संख्या..... एवं ईंजन संख्या.....
 - (ग) क्रय/अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी दिनांक एवं विवरण:.....
 - (घ) अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किये जाने की स्थिति में, मूल पंजीयन प्राधिकारी का विवरण

भाग—तीन

घोषणा

मैं, हस्ताक्षरकर्ता, निम्नानुसार एतद्वारा, घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही है। मैं पंजीयन चिन्ह के प्रतिधारण अथवा पुनः उपयोग के संबंध में, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 के प्रावधानों का अनुपालन करने का वचन देता/देती हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर

दिनांक

स्थान

संलग्न दस्तावेज में टिक लगाएं

1	पुराने पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) की प्रति	
2	वाहन स्क्रैपिंग/पंजीयन निरस्तीकरण का प्रमाण (यदि लागू हो)	
3	अन्य राज्य से जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) (यदि लागू हो)	
4	अन्य राज्य में पंजीयन का प्रमाण (यदि अनापत्ति प्रमाणपत्र जारी किया गया है)	
5	प्रतिधारण शुल्क के भुगतान की रसीद	
6	आवेदक का पहचान प्रमाण	“

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंशिका ऋषि पाण्डेय, उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 28th April 2026

NOTICE

No F RULE/6/2025-TRANSPORT-Part(2).— The following further draft amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, which the State Government proposes to make in exercise of the powers conferred by Section 65 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), is hereby, published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Any objection or suggestions regarding the said draft received from any person, before the specified period, in office hours in the office of the Secretary, Department of Transport, Email- ps-transport@cg.gov.in, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Nava Raipur Atal Nagar, Raipur, shall be considered by the Government of Chhattisgarh.

DRAFT AMENDMENT

In the said rules,-

1. After Rule 55-C, the following rule shall be added, namely:-

“55-D. Retention of Registration Mark.- (1) The registered owner of a motor vehicle may retain or re-use the registration mark (ordinary/fancy/choice number) of his/her old vehicle on a newly purchased vehicle or on a vehicle brought for registration due to change of address from another State.

(2) The vehicle owner shall be permitted to retain or re-use the registration mark of each motor vehicle only once.

(3) To retain the registration mark, the prescribed fee for fancy/choice number shall have to be paid:

Provided that for retention of fancy/choice number for which fee has not been fixed, a fee of ₹ 5000/- shall have to be paid for use of such registration mark.

Explanation— The initial bid amount of the auction under fancy/choice number shall be considered as fixed fee.

(4) An application for retention or re-use of a registration mark shall be submitted to the Registering Authority in Form CGMVR 34-A, along with the requisite documents and the application fee as specified under rule 62.

(5) Where the vehicle owner has duly scrapped the motor vehicle or has obtained cancellation of registration through any other lawful means, submission of the Registration Cancellation Certificate issued by the Competent Authority shall be mandatory for re-use of the registration mark:

Provided that, where a No Objection Certificate (NOC) has been issued for transfer of the vehicle to another State, the new Registration Certificate (RC Card) issued by the concerned Registering Authority shall be mandatorily submitted for re-use of the registration mark.

(6) The facility for retention of registration mark shall not be applicable to the following vehicles:

- (a) For Vehicles already registered within the State, or
- (b) Vehicles in respect of which change of address has been, recorded on the basis of an-inter State No Objection Certificate received from another State, but the registration mark pertains to another State;
- (c) Vehicles whose registration has been cancelled or No Objection Certificate issued for another State has exceeded a period of one year.

(7) In cases where change of address within the State has been recorded on the basis of a No Objection Certificate, retention of the registration mark shall be subject to the jurisdiction of the last Registering Authority.

(8) The facility of retention or re-use of registration marks shall also be applicable to Government vehicles; however, such vehicles shall be exempted from payment of the prescribed fee.”

2. After serial number 1 and the entries relating thereto in the Table under rule 62, the following shall be inserted, namely:-

"S.No."	Purpose	Amount (₹)
1-A.	Retention of Registration Mark	200.00"

3. After Form C.G.M.V.R. 34 (B.T.I.) of First Schedule, the following shall be inserted, namely:—

“FORM C.G.M.V.R. 34(A)
(See Rule 55-D)

Application for Retention of Registration Mark

To,

Registering Authority
----- C.G.

In accordance with the provisions of Rule 55-D of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, I hereby submit an application for retention of the registration mark of vehicle bearing registration number

PART 1

1. Full name/Company name
2. Father's/Husband's name
3. Complete address
4. Mobile/Telephone number
5. Email ID (if any)
6. Chassis number and engine number
7. Vehicle type
8. Challan number Date

PART-2

9. Reason for retention of vehicle registration mark (cancellation of vehicle registration or issuance of NOC for another state)
10. Category of vehicle to be issued registration mark (for new vehicle/change of address with NOC from another state)
11. Registration mark instructions for new vehicle or vehicle with NOC from another state:
 - (a) Make and model
 - (b) Chassis number..... and engine no
 - (c) Purchase/NOC issued date and details
 - (d) Details of original registering authority in case of issuance of NOC

PART-3 DECLARATION

I, the undersigned below, hereby, declare that the information provided above is true and correct to the best of my knowledge and belief. I undertake to comply with the provisions of the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, in respect of the retention or re-use of the registration mark.

Signature of Applicant

Date

Place

Tick the attached documents

1.	Copy of old Registration Certificate (RC)	
2.	Proof of vehicle scrapping/cancellation of registration (if applicable)	
3.	No Objection Certificate (NOC) issued from another state (if applicable)	
4.	Proof of registration in another state (if NOC has been issued)	
5.	Receipt of payment of retention fee	
6.	Identity proof of applicant	”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANSHIKA RISHI PANDEY, Deputy Secretary.